राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1621/2016.....जिला.....झुन्झूनू.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2016	राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का पुरजोर समर्थन किया। अतः सुविधा सन्तुलन राजस्व के पक्ष में ठहरता है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में रूपये 4,17,01,037/— की बिक्री राज्य के बाहर घोषणा "सी" के विरूद्ध बतायी है, जिसके समर्थन में व्यवहारी द्वारा विभिन्न फर्मो के "सी' फार्म पेश कर दिये है जिनका विवरण कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में विस्तृत रूप से अंकित कर रखा है। विक्रेता द्वारा कर दर 2 प्रतिशत से बिक्री की है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 2 प्रतिशत ही कर अपने आदेश दिनांक 05.12.2014 द्वारा आरोपित किया है। इस प्रकरण में "सी" प्रपत्रों के अभाव का मामला नहीं है, बल्कि आगत कर से संबंधित मामला है, जो कि व्यवहारी के विक्रेता द्वारा राजकोष में जमा नहीं कराने के कारण आगत कर (reverse) प्रावर्त करने के कारण केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत समायोजन नहीं देने से संबंधित है। चूंकि इस प्रकरण में आगत कर जमा नहीं हुआ है, अतः निर्गत कर के विरूद्ध आगत कर का समायोजन नहीं दिया गया है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। अवर अधिकारियों का रिकार्ड शीघ्र तलब हो। प्रकरण सुनवायी हेतु दिनांक 29.12.2016 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। निर्णय सुनाया गया। 01/08/16 (राजीव चौधरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या.....1621/2016.....जिला.....झुन्झूनू.....

मैसर्स किरण ट्रेडिंग कं., सिंघाना बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी, वा.क. बीकानेर। 2. सहायक आयुक्त, झुन्झुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 12/सीएसटी/झुन्झुनू/15–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.02.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 18, 23, 25, एवं 61 तथा धारा 9 सीएसटी एक्ट, 1956 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं कि अपीलार्थी हरियाणा राज्य के हिसार का रहने वाला है, द्वारा दिनांक 01.06.2012 के प्रभाव से पंजीयन (टिन) प्राप्त किया गया तथा वर्ष 13–14 की आलौच्य अवधि में, प्रस्तुत प्रकरण में अपीलीय अधिकारी ने गुणावगुण को मध्य नजर रखते हुए अपना विस्तृत आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में रूपये 4,17,01,037/– की बिक्री राज्य के बाहर घोषणा "सी" के विरूद्ध बतायी है, जिसके समर्थन में व्यवहारी द्वारा विभिन्न फर्मो के "सी' फार्म पेश कर दिये है। तत्पश्चात भी अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित मांग राशियों को यथावत रखा। जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। व्यवहारी द्वारा निम्न तालिका अनुसार अपील के निस्तारण तक मांग राशि को स्थगित किये जाने का आवेदन किया गया है :–	

अपील सं.	अवधि	अपी.अधि.का आदेश क्र.	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा
1	2	3	4
1621/16	13–14	12/सीएसटी	7,62,839

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.के.पारीक व विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई उपस्थित।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2016 द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है, जो अविधिक है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने 1986 आरटीसी 64, 39 एसटीसी 478, 122 एसटीसी 461, 138 एसटीसी 683, 107 एसटीसी 300, 99 एसटीसी 154 एवं 71 एसटीसी 153 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुए विवादास्पद राशि को अपील के निर्णय तक स्थगित रखा जावें।

लगातार.....2